International Journal for Multidisciplinary Research (IJFMR)
E-ISSN: 2582-2160 ● Website: www.ijfmr.com ● Email: editor@ijfmr.com

बिहार में वित्तीय समावेशन में मुद्रा योजना की भूमिका

दीपक कुमार राणा[1], डॉ. मो. शाहिद हुसैन[2]

[1]शोधार्थी, (सहायक प्राध्यापक) बीएनएमयू, मधेपुरा
[2]सहप्राध्यापक, बीएनएमयू , मधेपुरा

सारांश

वित्तीय समावेशन वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से समाज के सभी वर्गों,विशेष रूप से वंचित और गरीब वर्गों को सस्ती और सुविधाजनक वित्तीय सेवाओं और उत्पादों तक पहुँच प्राप्त होती है ।वित्तीय समावेशन आर्थिक एवं सामाजिक सशक्तिकरण का एक माध्यम है। वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा अनेकों प्रयास किए जा रहे हैं ।इसी प्रयास में केंद्र सरकर ने अनौपचारिक क्षेत्र को वित्तीय आवश्यकता को पूरा करने के लिए मुद्रा योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत शिशु ,किशोर और तरुण ऋण के तहत अधिकतम 10 लाख तक का ऋण प्राप्त किया जा सकता है। द्वितीयक आंकड़ों पर आधारित यह शोध आलेख बिहार में वित्तीय समावेशन में मुद्रा योजना की भूमिका का विश्लेषण करने का एक प्रयास है।

मुख्य शब्द - वित्तीय समावेशन , मुद्रा योजना ,शिशु ,किशोर, तरुण

परिचय-

वित्तीय समावेशन देश के विकास के लिए महत्वपूर्ण है। वित्तीय समावेशन सभी को वित्तीय सेवाएं और उत्पाद प्रदान करने की प्रक्रिया है ।खासकर समाज के कमजोर वर्गों को कम लागत पर वित्तीय सेवाओं को प्रदान करने का प्रयास किया जाता है ,जिसमें बैंक खाता ,भुगतान ,जमा, ऋण , धन हस्तांतरण और बीमा आदि सुविधाएं शामिल हैं। मुद्रा योजना वित्तीय समावेशन को प्राप्त करने के लिए भारत सरकार का एक महत्वपूर्ण योजना है। देश में गैर निगमित लघु व्यवसाय क्षेत्र में सबसे बड़ी बाधा वित्तीय सहायता का उपलब्ध न होना रहा है। इस क्षेत्र को औपचारिक स्रोत से वित्त उपलब्ध नहीं हो पाता है। इसलिए

भारत सरकार ने मुद्रा बैंक की स्थापना की है। मुद्रा यानी माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी लिमिटेड जिसकी की स्थापना 8 अप्रैल 2015 को की गई। इस योजना की स्थापना समाज के कमजोर वर्गों एवं लघु एवं मध्य उद्यमों को वित्त के सुविधा प्रदान करती है ।

साहित्य समीक्षा

मंजीत (2021) यह अध्ययन मुद्रा योजनाओं के प्रदर्शन के मूल्यांकन पर केंद्रित है। इन्होंने इस अध्ययन से निष्कर्ष निकाला है की प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के कारण सूक्ष्म वित्त मे जबरजस्त बदलाव आया है । यह योजना न्यूनतम आय वर्ग और समाज के कमजोर वर्ग तथा वित्त रहित आबादी को वित्त प्रदान करने के लिय वित्तीय संस्थाओं के बीच प्रतिसप्रधा को बढ़ावा देती है । हरियाणा मे मुद्रा योजना की अनुमोदित और वितरित राशि की मात्रा साल दर साल बढ़ रही है ।मुद्रा योजना के तहत अधिक ऋण और स्वीकृत ऋण प्रदान करने के लिए बहुत सारे प्रयासों की आवश्यकता है । प्रधानमंत्री मुद्रा योजना से वित्तीय समावेशन बढ़ती है ।

मनीष अग्रवाल और रितेश द्विवेदी (2017) ने प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के प्रदर्शन की आलोचनात्मक समीक्षा की है । विभिन्न राज्यों से प्राप्त आँकड़े और विश्लेषण से निष्कर्ष निकाला की राजस्थान और पश्चिम बंगाल में इस योजना के तहत उद्यमियों ने अधिक लाभ प्राप्त किया है। इसके अलावा महिला उद्यमी अन्य श्रेणी की तुलना में ऋण वितरण के हिस्से में आगे हैं।

जॉर्ज और नलिनी (2018) के अध्ययन के अनुसार भारत में मध्यम और छोटे व्यवसाय आर्थिक विकास में योगदान करते हैं ।इसे प्रोत्साहित और बढ़ावा दिया जाना चाहिए ।भारत सरकार ने पिछले कुछ वर्षों के दौरान छोटे और मध्यम उद्योगों का समर्थन करने के लिए अनेक सस्ती ऋण योजनाओं की शुरुआत की है ।उन्होंने अपने अध्ययन में पाया कि भारत में सूक्ष्म, मध्यम और लघु व्यवसाय इकाइयों को आगे बढ़ाने के लिए हाल मे ही शुरू की गई मुद्रा योजना एक प्रमुख योजना है ।इस प्रकार के योजनाओं से देश में कुशल श्रमिकों और अशिक्षित युवाओं को रोजगार मिलती है और उनको आत्मनिर्भर बनने का अवसर प्राप्त होता है। इस प्रकार आसान शर्तों पर उपलब्ध वित्तीय सुविधाओं से न केवल क्षेत्र विशेष के विकास को प्रोत्साहन मिलता है बल्कि अर्थव्यवस्था की गति को बढ़ाने में मदद मिलती है।

अध्ययन का उद्देश्य

1) मुद्रा योजना की अवधारणा एवं इसके उत्पाद का अध्ययन करना ।

2) बिहार में वित्तीय समावेशन में इसकी भूमिका का विश्लेषण करना ।

शोध प्रविधि

शोध अभिकल्प - यह अध्ययन वर्णनात्मक प्रकृति का है |यह अध्ययन बिहार में वित्तीय वर्ष 2015-16 से 2023 -24 तक मुद्रा योजना के वित्तीय लक्ष्यों एवं उपलब्धियां पर केंद्रित हैं।

वर्तमान अध्ययन द्वितीयक आंकड़ों पर आधारित है। द्वितीय आंकड़ों के लिए मुख्य रूप से विभिन्न प्रकार के पत्रिकाओं ,समाचार पत्रों, भारत सरकार के विभिन्न रिपोर्ट ,आर्थिक सर्वेक्षण और मुद्रा योजना की वेबसाइट इत्यादि का सहारा लिया गया है।

प्रधानमंत्री मुद्रा योजना- गैर लघु व्यवसाय इकाइयों के समक्ष आने वाली वित्तीय कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए केंद्रीय वित्त मंत्री श्री अरुण जेटली द्वारा प्रस्तुत बजट 2015-16 में 20000 करोड़ रुपए की राशि तथा 3000 करोड़ रुपए के ऋण गारंटी के साथ मुद्रा बैंक के गठन की घोषणा की गई। इसके बाद मार्च 2015 में कंपनी अधिनियम 2013 के तहत मुद्रा को एक कंपनी के रूप में और 7 अप्रैल 2015 को भारतीय रिजर्व बैंक के साथ एक गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थान के रूप में पंजीकृत किया गया। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 8 अप्रैल 2015 में मुद्रा बैंक का उद्घाटन किया। मुद्रा को शुरू में भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी के रूप में बनाया गया था जिसमें 100 प्रतिशत पूंजी सिडबी द्वारा दिया गया। वर्तमान में मुद्रा की अधिकृत पूंजी 1000 करोड़ रुपए है और चुकता पूंजी 750 करोड रुपए है। यह सभी सूक्ष्म वित्त संस्थाओं जो विनिर्माण, व्यापार एवं सेवा गतिविधियों से जुड़े सूक्ष्म एवं लघु व्यवसाय इकाइयों को ऋण देने का कार्य करती है तथा उन्हें पुनर्वित देने का कार्य करती है। यह एक पुनर्वित एजेंसी है न कि प्रत्यक्ष ऋण देने वाली संस्था।

मुद्रा योजना का उद्देश्य- इसका मुख्य उद्देश्य सूक्ष्म वित संस्थाओं और छोटे व्यापारियों रिटेलर्स ,स्वयं सहायता समूहों और व्यक्तियों को उधार देने वाली एजेंसियों को वित्त एवं उधार गतिविधियों में सहयोग देना है। इसके साथ ही साथ सूक्ष्म व्यवसायों को दिए जाने वाले ऋण के लिए गारंटी देने हेतु क्रेडिट गारंटी स्कीम बनाना है ।

मुद्रा योजना के लाभ - प्रधानमंत्री मुद्रा योजना गैर कॉरपोरेट, गैर कृषि लघु एवं सूक्ष्म उद्योगों को 10 लाख तक का ऋण प्रदान करने की एक योजना है। इस योजना का लाभ एकल व्यवसायी , साझेदारी फर्म ,मरम्मत के दुकान ,खाद्य उद्योग,सूक्ष्म विनिर्माण फर्म आदि को प्राप्त हो सकता है | यह ऋण अनुसूचित वाणिज्य बैंक ,क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, लघु वित्त बैंक, सहकारी बैंक ,सूक्ष्म वित्त संस्थान और गैर बैंकिंग वित्तीय कंपिनयों के माध्यम से दिये जाते हैं । उधारकर्ता इन संस्थानों से संपर्क कर ऋण प्राप्त कर सकते हैं।इस योजना में महिला उधमियों को वरीयता दिया जाता है |इस योजना के अन्तर्गत मुद्रा कार्ड रुपे प्लेटफॉर्म पर डेबिट कार्ड के रूप में जारी किया जाता है।मुद्रा कार्ड के माध्यम से मुद्रा खाते से राशि निकाली जा सकती है | इस योजना में ऋण लेने के लिए किसी प्रकार की गारंटी की जरूरत नहीं पड़ती

है और न ही प्रोसेसिंग शुल्क लिया जाता है।इस योजना के अन्तर्गत ऋण चुकाने की अवधि 5 वर्ष के लिए होती है |

मुद्रा योजना के उत्पाद - मुद्रा योजना के अंतर्गत निम्नलिखित तीन प्रकार के ऋण प्रदान किए जाते हैं-

शिशु ऋण -यह योजना किसी सूक्ष्म व्यवसाय को शुरुआत करने के लिए दिया जाता है । इसके अंतर्गत स्वीकृत ऋण राशि 50 हजार रूपये तक होती है।

किशोर ऋण - इस योजना के तहत 50 हजार रूपए से 5 लाख रुपए तक के ऋण दिये जाते हैं।इस स्कीम के तहत ऐसे उद्यमी को ऋण दिया जाता है जो अपने व्यवसाय को बढ़ाना चाहते हैं |

तरूण ऋण - इस योजना के तहत 5 लाख से 10 लाख तक के ऋण दिये जाते हैं।हाल में सरकार ने इसकी अधिकतम राशि 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख रुपये कर दी है | ये ऋण बड़े व्यवसाय की स्थापना करने या व्यवसाय को बढ़ाने के लिए दिया जाता है |

बिहार में वित्तीय समावेशन में मुद्रा योजना का प्रदर्शन -

तालिका -1 :2015 -2024 तक शिशु ऋण के तहत खातों की संख्या, अनुमोदित राशि एवं वितरित राशि (रुपए करोड़ में)

वर्ष	खातों की संख्या	अनुमोदित राशि	वितरित राशि	अनुमोदित राशि तथा वितरित राशि में अंतर
2015-16	2310112	-	4113.7	-
2016-17	3622665	8419.54	8225.89	193.65
2017-18	4063534	9919.75	9646.78	272.97
2018-19	5507357	14801	14372.71	428.29
2019-20	6166083	18150.75	18150.75	0
2020-21	4487990	12828.81	12720.1	108.71
2021-22	5433461	17156.1	17054.61	101.49
2022-23	6154319	21521.63	21365.47	156.16
2023-24	6085909	22937.62	22748.87	188.75

स्रोत: www.mudra.org.in

तालिका1 से पता चलता है की शिशु ऋण के तहत खोली गई खाताओं की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है| वर्ष 2020-21 में नॉवेल कोरोना के कारण गिरावट हुई | 2023-24 में भी चुनाव वर्ष एवं मंदी के कारण मामूली गिरावट हुई है |फिर भी 2015-16 से 2023-24 तक खातों की संख्या में 163.44 प्रतिशत

की वृद्धि हुई | सरकार ने शिशु ऋण के लिए लगातार राशि बढ़ाते जा रही है ,जो 2016-17 में 8419.54 करोड़ रुपये से बढ़कर 2023-24 में 22937.62 करोड़ रुपये हो गई| वितरित की गई राशि वर्ष 2019-20 में 100 प्रतिशत थी | अन्य वर्ष में यह लगभग 99 प्रतिशत है| अनुमोदित राशि तथा वितरित राशि में अंतर का कॉलम सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह दिखाता है कि अनुमोदित राशि और वितरित राशि में कितनी मेलजोल है। 2019-20 में यह अंतर 0 था, जो यह दर्शाता है कि उस वर्ष जितनी राशि अनुमोदित की गई थी, उतनी ही वितरित भी की गई। हालांकि, अन्य वर्षों में यह अंतर थोड़ा-बहुत रहा है, जैसे 2016-17 में यह अंतर ₹193.65 करोड़ था, और 2022-23 में यह ₹156.16 करोड़ था।

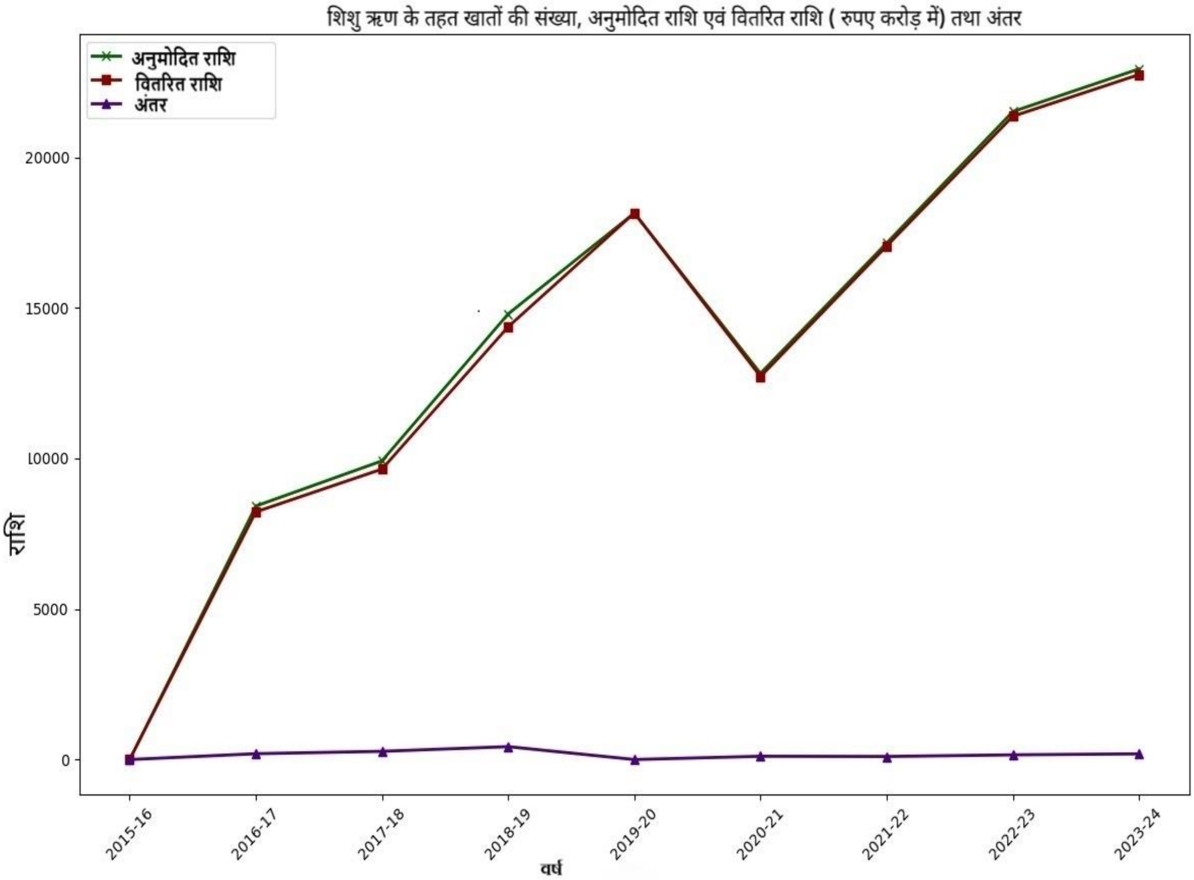

अनुमोदित राशि एवं वितरित राशि में अंतर कभी-कभी प्रशासनिक कारणों, लाभार्थियों की पहचान, या वितरण प्रक्रिया में समय की देरी के कारण हो सकता है, लेकिन धीरे-धीरे यह अंतर कम होता जा रहा है, जो प्रशासनिक सुधार और योजना की दक्षता में वृद्धि का संकेत है।

तालिका -2 :2015 -2024 तक किशोर ऋण के तहत खातों की संख्या, अनुमोदित राशि एवं वितरित राशि(रुपए करोड़ में)

वर्ष	खातों की संख्या	अनुमोदित राशि	वितरित राशि	अनुमोदित राशि तथा वितरित राशि में अंतर
2015-16	129001	-	2227.77	-
2016-17	116492	2299.7	1944.19	355.51
2017-18	224316	3845.57	3690.52	155.05
2018-19	437355	6629.36	5855.55	773.81
2019-20	503389	5997.12	5159.17	837.95
2020-21	772612	9369.03	8156.55	1212.48
2021-22	1201505	11599.06	10463.52	1135.54
2022-23	2271880	19886.93	19187.45	699.48
2023-24	3473060	29973.37	28473.02	1500.35

स्रोत : www.mudra.org.in

यह तालिका 2015 से 2024 तक किशोर ऋण के तहत बिहार में खोले गए खातों की संख्या, अनुमोदित राशि, वितरित राशि और अनुमोदित राशि तथा वितरित राशि के बीच अंतर को दर्शाती है। इस तालिका का विश्लेषण से हम यह समझ सकते हैं कि समय के साथ किशोर ऋण योजना की स्थिति में किस तरह का बदलाव आया है। तालिका 2 से पता चलता है की किशोर ऋण के तहत खोली गई खाताओं की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है| 2015-16 से 2023-24 तक खातों की संख्या 129001 से बढ़कर 3473060 हो गई |

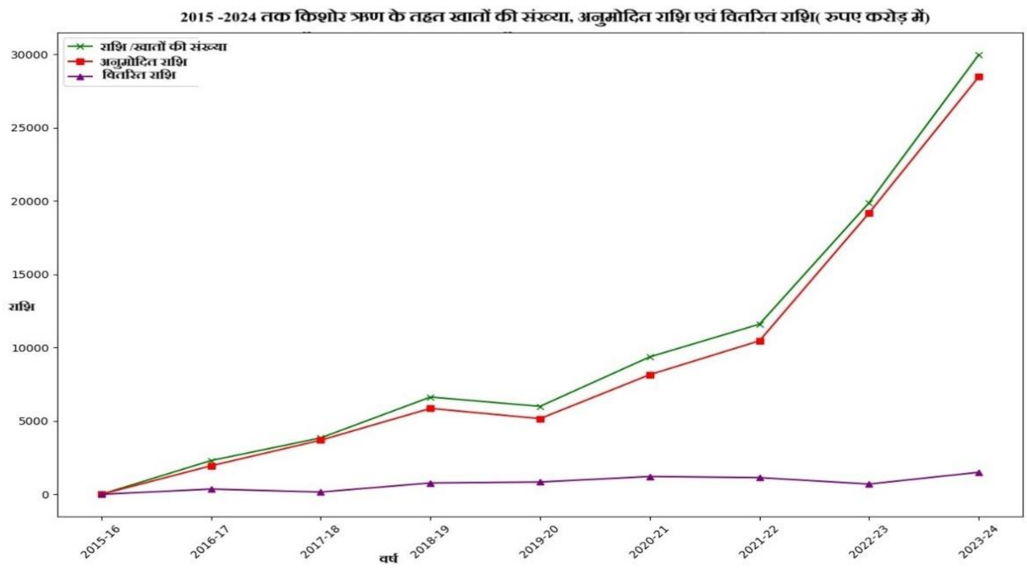

वर्ष 2019-20 को छोड़ कर किशोर ऋण के लिए लगातार स्वीकृत राशि बढ़ायी जा रही है | 2016-17 में स्वीकृत राशि 2299.7 करोड़ रुपये से बढ़कर 2023-24 में 29973.37 करोड़ रुपये हो गई| हालांकि वितरित की गई राशि स्वीकृत राशि से प्रत्येक वर्ष कम रही | अनुमोदित राशि तथा वितरित राशि में वर्षों में यह अंतर कभी अधिक और कभी कम रहा है। 2016-17 में यह अंतर ₹355.51 करोड़ था, और 2019-20 में यह ₹837.95 करोड़ था। हालांकि, 2023-24 में यह अंतर ₹1500.35 करोड़ तक पहुंच गया, जो कि उच्चतम अंतर है। यह दर्शाता है कि स्वीकृत राशि का कुछ हिस्सा वितरण प्रक्रिया में देरी या अन्य कारणों से वितरित नहीं हो सका।

तालिका -3 :2015 -2024 तक तरुण ऋण के तहत खातों की संख्या, अनुमोदित राशि एवं वितरित राशि (रुपए करोड़ में) तथा अंतर

वर्ष	खातों की संख्या	अनुमोदित राशि	वितरित राशि	अनुमोदित राशि तथा वितरित राशि में अंतर
2015-16	12326	-	924.44	-
2016-17	17559	1471.36	1415.55	55.81
2017-18	27011	2154.09	2059.46	94.63
2018-19	54928	2975.64	2840.06	135.58
2019-20	43022	3287.92	3112.9	175.02
2020-21	46092	3391.47	3143.13	248.34
2021-22	43189	3341.79	3206.94	134.85
2022-23	63032	5054.59	4895.67	158.92
2023-24	72308	5811.26	5619.19	192.07

स्रोत : www.mudra.org.in

तालिका 3 से पता चलता है की तरुण ऋण के तहत खोली गई खाताओं की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है| 2015-16 से 2023-24 तक खातों की संख्या 12326 से बढ़कर 72308 हो गई | वर्ष 2019-20 को छोड़ कर तरुण ऋण के लिए लगातार स्वीकृत राशि बढ़ायी जा रही है | 2016-17 में स्वीकृत राशि 1471.36 करोड़ रुपये से बढ़कर 2023-24 में 5811.26 करोड़ रुपये हो गई| हालांकि वितरित की गई राशि स्वीकृत राशि से प्रत्येक वर्ष कम रही |अनुमोदित राशि तथा वितरित राशि में अंतर दर्शाता है की कुछ वर्षों में यह अंतर कम है, जबकि कुछ वर्षों में यह अंतर अधिक है।

2016-17 में अनुमोदित राशि तथा वितरित राशि में अंतर ₹55.81 करोड़ था, और 2023-24 में यह ₹192.07 करोड़ तक पहुँच गया। यह अंतर कभी-कभी प्रशासनिक कारणों, वितरण प्रक्रिया में समय की देरी, या लाभार्थियों की पहचान में बाधाओं के कारण हो सकता है। हालांकि, यह अंतर धीरे-धीरे बढ़ रहा है, जो प्रशासनिक प्रक्रिया में कुछ चुनौतियों को दर्शाता है, जिनके समाधान के लिए सुधार की आवश्यकता हो सकती है।

सुझाव -

1. किशोर और तरुण ऋण के लिए अनुमोदित राशि बढ़ायी जाए | इस प्रकार के ऋण के बढ़ने से रोजगार के अवसर को बढ़ते हैं।
2. इस योजना का व्यापक प्रचार प्रसार होना चाहिए। ताकि जन जन तक इसकी पहुँच हो ।
3. कौशल विकास प्रशिक्षण पर जोर दिया जाए ताकि आम जन इस योजना का लाभ लेकर नया व्यवसाय शुरू कर सके |

निष्कर्ष

ऋण उत्पाद के रूप में मुद्रा योजना वित्तीय समावेशन की महत्वपूर्ण योजना है | बिहार में मुद्रा योजना से वित्तीय समावेशन को बढ़ावा मिला है | शिशु, किशोर और तरुण ऋण के तहत बिहार के लघु उधमियों को वित्तीय पहुँच संभव हुआ है | सबसे ज्यादा वृद्धि शिशु ऋण में देखी गई है जिससे पता चलता है की मुद्रा योजना ने बड़े पैमाने पर पहली बार छोटे उधमियों को ऋण प्रदान किया है| मुद्रा योजना के तहत किशोर तथा तरुण ऋण की भी राशि लगातार बढ़ रही है ।अतः प्रधानमंत्री मुद्रा योजना आजीविका के लिए ऋण उपलब्ध करा कर वित्तीय समावेशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है।

संदर्भ सूची

1. अग्रवाल एम., और द्विवेदी आर. (2017),प्रधानमंत्री मुद्रा योजना:एक आलोचनात्मक समीक्षा,के आई आई टी जर्नल ऑफ मैनेजमेंट ,13(2),97-106
2. अजीत कुमार साहू, पी. आर. (2019), प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) का प्रदर्शन हरियाणा का एक केस स्टडी। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ रिसर्च इन सोशल साइस, 9(5).1-17
3. गौतम, पी. कुमार, पी, और गोपाल, के (2017), मुद्रा के प्रदर्शन का विश्लेषण करें। इंटरनेशनल जर्नल इन मैनेजमेंट एंड सोशल साइंस, 5(6), 72-77
4. बैंकिंग चिंतन -अनुचिंतन जुलाई से सितंबर 2016
5. जॉर्ज, बी.और नलिनी,जे.(2018),एम एस एम ई के विकास मे मुद्रा बैंक की भूमिका , इंटरनेशनल जर्नल ऑफ बिजनस एंड मैनेजमेंट इन्वेन्शन,7(2),59-62
6. जुलियाना सैरा जॉन, निकिता काबरा और साचिया मारिया जोस। (2018), कर्नाटक में मुद्रा प्रदर्शन। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ रिसर्च एंड एनालिटिकल रिव्यूज (प्रभार), 5(4), 277-287.
7. मंजीत(2021),ए स्टडी ऑन बेनीफिसयरी ऑफ मुद्रा योजना इन हरियाणा, जर्नल ऑफ कंटेपमरोरी इसु इन बिजनस एंड गवर्मेंट ,वोल.27 ,न. 3 ,2021
8. लाल, ए.आर. (2018)। उत्तराखंड में मुद्रा योजना के महत्वपूर्ण विश्लेषण पर एक अध्ययन। इटरनेशनल जर्नल ऑफ सोशल साइंस एंड इकोनॉमिक रिसर्च, 03(07), 1-15
9. रेशमा राज, एस.के. (2019) मुद्रा ऋण के विशिष्ट संदर्भ में लघु व्यवसाय उद्यमियों को ऋण सुविधाएं प्राप्त करने में आने वाली समस्याएं। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ इनोवेटिव टेक्नोलॉजी एंड एक्सप्लोरिंग इजीनियरिंग (जाईजेआईटीईई), 8(62), 1-6
10. www.mudra.org.in
11. www.pib.gov.in